फर्द अहकाम

गणेशीलाल बनाम बोहरा वगैरह

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर

केस संख्या 43 / 2025 धारा - 5 ऊ, 18 सपठित

क्र. सं0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	18/9/25	18/9/25:- वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 स्वयं उपस्थित आये एवं प्राथमिक बाबत मिसल तलब का वाद बिन्दु की अनुमति दिये जाने के उक्त में पेश कर प्रकथन किया कि उक्त प्रकरण में वादीगण आपसी समझौता की पाबन्दियां होने के कारण प्रतिवादीगण के विरुद्ध नहीं चलाना चाहते है वाद कारण वादीगण/प्रार्थीगण को उक्त वाद बिन्दु करने की अनुमति दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

सुना गया। मिसल तलब की गई। प्रस्तुत प्राथमिक का अवलोकन किया गया। वादी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध उक्त वाद को चलाना नहीं चाहते है एवं वाद बिन्दु किये जाने बाबत आपेक्षित पर हस्ताक्षर किये है। अतः लोक अदालत की भावना से वादी द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक बाबत बिन्दु वाद न्यायहित में स्वीकार किया जाकर दावा बिन्दु किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णीत शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। दर्ज नेजा से कम हो।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

18-9-25